



प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश
Directorate of Technical Education Uttar Pradesh
विकास नगर, कानपुर-200002
Vikas Nagar, Kanpur-200002

वेबसाइट/website : <http://upted.gov.in/directorate>

दूरभाष/Phone: 2582084

फैक्स/Fax: 2580965

E-मेल/email: director@upted.gov.in

पू.सं. 2/2336/अ/इ 2-दो-738(विद्युत)(18), कानपुर-दिनांक 28/9/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासन के नियुक्ति/विज्ञप्ति संख्या-754/सोलड-2-2023,

दिनांक 15.09.2023 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-2, मिथान भवन, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
5. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. सम्बन्धित मुख्य/नरिष्ठ कर्माधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय पब्लिक टैक्निक, प्रेमधर पट्टी, प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ कि संदर्भित नियुक्ति/विज्ञप्ति के प्रस्तर-4 पर संस्था स्तर से समयान्तर्गत कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा समस्त औपबन्धन आधार पर नियुक्त अभ्यर्थियों के प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् वेतनमान प्रविष्टि नेशन रु०-56100, लेवल-9क के अनुसार वेतन आहरित करें। शासन द्वारा औपबन्धन समाप्त किये जाने के पश्चात् लोय सेवा आयोग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता स्नातक अथवा फरास्ताक के अनुसार वेतनमान प्रविष्टि नेशन रु०-56100, लेवल 9क अथवा प्रविष्टि वेतन रु० 57700/-, लेवल 10 के अनुसार वेतन आहरित किये जाने के आदेश शासन/निदेशालय स्तर से पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
11. श्री नीरज कुमार, सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर को यूराइज प्रोर्टल पर अंकित सूचना को अद्यतन कराये जाने हेतु।
12. श्री राधीप कुमार पुत्र श्री जल्दू प्रसाद, गिनासी-हेरागढ़ी, सहर्षी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-221507
13. प्रकरण सहायक, सी0वार0 ग्रुप (मु०)।
14. प्रकरण सहायक, ज्येष्ठता ग्रुप (स्थापना)।

पुंजीकृत

(आर०के० श्रीवास्तव)

उप निदेशक,

उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

संख्या एवं दिनांक तदीय-

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आदेशप्रयुक्त वर्गवाही हेतु भेजित:

- 1- महानदेशाचार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- निजी सचिव, ग० नं०, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- 3- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर।
- 4- संबंधित कोषालिकाएँ, उत्तर प्रदेश।
- 5- संबंधित प्रसनाचार्य को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना और निर्दिष्ट समय को अन्तर कार्यालय गठन न करने की सूचना दौलत व निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का वाह्य करें।
- 6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, प्रयागराज को मजदूत के रूपामें अंक में प्रकाशनार्थ।
- 7- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज को उनके पत्र सं०-०१/०१/डी.आर./एन-१२/२०२१-२२टीसी०-०६, दिनांक २३.०६.२०२२, पत्र सं० ५०(१)/०१/डी.आर./एन-१२/२०२१-२२टीसी०-०३ दिनांक ०६.०६.२०२२ एवं पत्र सं०-५०(२)/०१/डी.आर./एन-१२/२०२१-२२टीसी०-०६, दिनांक १९.०६.२०२२ के तत्पर्य में।
- 8- संबंधित शैचीट अभ्युक्ति निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- 9- श्री संदीप कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद पता हेटापट्टी, सन्तुर्वा, प्रयागराज, उ०प्र०-२२१६०१ पार्स फाइल।
- 10-

आज्ञा से,



(अंशुकर कन्द सिंह)
अभ्युक्ति सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
 प्राथमिक शिक्षा अनुसंधान-2
 संख्या- 7/1/सोतह-2/2023
 लखनऊ दिनांक: 15 फरवरी, 2023
 नियुक्ति/विज्ञापि

प्राथमिक शिक्षा विभाग (डि.सो. सं. सं. 2023) के अंतर्गत राजकीय पालीटेक्निक, ए.एम. में व्याख्याता नियुक्ति अभियंत्रण के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित भर्तियों के फलस्वरूप लोप होना (प्र.सं. 2023), प्रधानाचार्य एवं संतुष्टि के अधीन (उ. श्री राईचंद्र कुमार पुत्र श्री लखनू प्रताप स्वामी गता-हेतावददी, साहसों, प्रयागराज, 2023-221507 (लोक सेवा आयोग का क्रमांक-105) जो उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अ.प्र.शा. विद्युत अभियंत्रण के पद पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (अ.प्र.सं.) सेवा नियमावली, 2021 में विहित प्रावधानानुसार वेतनमान प्रथमिक वेतन 58,00, लेवल-3 एवं प्रविष्टि वेतन 57,000, लेवल-13 (लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित व्यंजन पर नों उल्लिखित शैक्षिक यंत्रणा एनालक अ.प्र.शा.सं. के अनुसार) में अग्रणी क्रम से शासनपेश संख्या 04/2021/1/2011-ला-2-2021, दि. 01.04.2021 में विहित प्रावधानानुसार औपचारिक रूप से राजकीय पालीटेक्निक, प्रेमनगर नदुडी प्रशासक के नियुक्ति/वेतन किले जाने की ओर शासनल निम्नलिखित बात/बतियों के अधीन चर्चा स्वीकृति प्रदान करते हैं:

- (1) उक्त सेवा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (अ.प्र.सं.) सेवा नियमावली 2021 में उल्लिखित प्रावधानों से अ.प्र.सं. होने तथा ऐसी उक्त सेवा रातो रातो लोप होना, जो समय-समय पर शासन द्वारा निश्चित की जायेगी।
- (2) उक्त सेवा का उत्तर प्रदेश सरकार के संकाय परीक्षा (प्रथम चरण) नियमावली, 2018 जो उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत संकायों की सेवा नियमावली पर अध्यापक प्रमाण से लागू है, की कुशल प्रावधानों के अंतर्गत व्यवस्था नद पर शासन द्वारा करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा प्रावधान पर रहेगी तथा व्यवस्था नद को पत्राचारिक प्रमाण कुशल प्रावधानों के प्रावधानों के अनुरूप नद में निश्चित की जायेगी।
- (3) संबंधित कर्मिक का उचित साक्षात् एवं गुणित सत्यापन नि.प्र.सं. संख्या 201 है। यदि उक्त सत्यापन में संबंधित कर्मिक को वैकल्पिक कोई प्रतिफल तथा प्रकृत में आता है तो उक्त नियुक्ति विवेक शून्य माने जायेगी, तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।
- (4) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (अ.प्र. सं. 2023), लखनऊ संबंधित कर्मिक के अतिरिक्त योग्यताओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की नकल को जॉय संबंधित संस्था/विभाग/विभाग से प्राप्त होने और यदि संबंधित कर्मिक को मूल अतिरिक्त प्रमाण/कली पाये जाते हैं, तो उक्त कर्मिक के वैकल्पिक प्रमाण प्रमाणों में विवेक प्रमाणों के अतिरिक्त प्रमाणों से शासन को 08 माह के अन्दर अग्रिम जायेगी। उक्त प्रमाण उक्त कर्मिक के नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
- (5) संबंधित कर्मिक को अग्रिम प्रमाण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त अ.प्र.सं. सं. सं. 2023 शासनपेशों के अंतर्गत अनुमान में कोई भत्ता तथा अ.प्र. सं. में देना होगा। संबंधित कर्मिक को मद्र की निर्दिष्टा किए जाते हैं जो वे अग्रिम कार्यवाही प्रमाणों के अतिरिक्त प्रमाणों से शासन से एक माह के अन्दर अग्रिम प्रमाण प्राप्त करें अन्यथा उक्त नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यवाही ग्रहण करने हेतु संबंधित कर्मिक को अतिरिक्त प्रमाणों का प्रमाण देना पड़ेगा।
- (6) उक्त नियुक्ति मा.0 उच्च न्यायालय में दायित्व विवेक (सी.सं. संख्या-470(टी)/अ.प्र. 2019 में मा.0 न्यायालय द्वारा प्रेषित होने मात्र अग्रिम निम्न के अंतर्गत रहेगा।

सुभाष चन्द्र राय
 प्रमुख सचिव,